संख्या- 79/2024/1449/छप्पन-2024-04/2005 T.C.

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 09 सितम्बर, 2024

विषयः आजमगढ़ एयरपोर्ट हेतु चयनित स्थल पर ओवर हेड हाई टेन्शन लाइन को भूमिगत किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 39/आर0सी0एस0-2024-ए-01/2018 दिनांक 15 मई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या-799/प्रोटोकाल-लिपिक/2024-25 दिनांक 16 अप्रैल, 2024 के क्रम में आजमगढ़ एयरपोर्ट पर ए0एफ0एस0 हेतु चयनित स्थल पर ओवर हेड हाई टेन्शन लाइन को भूमिगत किए जाने हेतु कुल आगणित धनराशि रू0 5,44,359.00/- (पाँच लाख चौवालिस हजार तीन सौ उनसठ रूपये मात्र) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूंजी लेखा लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि-60 भूमि क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0 100000.00 लाख से वहन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत आजमगढ़ एयरपोर्ट हेतु चयनित स्थल पर ओवर हेड हाई टेन्शन लाइन को भूमिगत किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि रू0 5,44,359.00/- (रू0 पाँच लाख चौवालीस हज़ार तीन सौ उनसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 5,44,359.00/- अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,44,359.00/- (रू0 पाँच लाख चौवालीस हजार तीन सौ उनसठ मात्र)/- तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूंजी लेखा लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि-60 भूमि क्रय" में प्राविधानित धनराशि रू0 100000.00 लाख में से किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-87/दस-2024-2025, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 79/2024/1449(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
6. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आजमगढ़ एयरपोर्ट, आजमगढ़।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
9. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।